

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग-8)

17 SEP 2018

दूरभाष 0141-2227229, Email-rurbanraj@gmail.com, pdme2k_rdd@yahoo.com

क्रमांक प. 8(13)(10) ग्रावि./अनु-8/एसपीएमआरएम/ बजट/2016 जयपुर,दिनांक: 17.09.2018


स्वीकृति आदेश

विषय:- "श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबन मिशन" योजना के फेज-द्वितीय की सीजीएफ की प्रथम किश्त की राशि मुख्यालय के पीडी खाते से सम्बंधित जिला परिषदों के पीडी खाते में हस्तान्तरित करने बाबत।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत इस विभाग द्वारा संचालित "श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबन मिशन" योजना के फेज-द्वितीय की सीजीएफ की प्रथम किश्त की राशि रूपये 2430 लाख ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार की स्वीकृति संख्या जे-12011/02/2018-रूबन(एसएल एन-15) दिनांक 30.05.2018 के द्वारा क्लस्टरवार केन्द्रीय सहायता के रूप में जारी की गई। वित्त (व्यय-5) विभाग की आईडी संख्या 331800480 दिनांक 27.06.2018 के क्रम में वित्त (बजट) विभाग की वित्तीय स्वीकृति क्रमांक एफ4(105)वित्त-1(1)/आ.व्यय/2017 दिनांक 13.07.2018 (स्वीकृति संख्या 10001/2018-19) के द्वारा केन्द्रीय सहायता राशि रूपये 2430 लाख (केन्द्रीय सहायता 60 प्रतिशत) बजटमदवार जारी की गई तथा कोषाधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर की स्वीकृति क्रमांक सचि/कोष/पीडी/2018-19/1530-36 दिनांक 18.07.2018 के द्वारा राशि रूपये 2430 लाख को मुख्यालय स्तर पर संचालित ग्रामीण विकास विभाग के पीडी खाता संख्या 5806 (प्र.मं. आवास योजना ग्रामीण के नाम से संचालित) में से जमा करवाया गया है।


"श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबन मिशन" योजना के फेज-द्वितीय के छः क्लस्टर की सीजीएफ की प्रथम किश्त की केन्द्रीय सहायता की राशि मुख्यालय के पीडी खाता संख्या 5806 से राशि रूपये 2430 लाख (रूपये चौबीस करोड़ तीस लाख मात्र) को संलग्न विवरणानुसार सम्बंधित जिला परिषदों के पीडी खातों में हस्तान्तरित करने की एतद् द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है। राशि का उपयोग भारत सरकार द्वारा जारी योजना की मार्ग-दर्शिका एवं राज्य सरकार द्वारा इस बाबत समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार सुनिश्चित किया जाना है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।


(हितबल्लभ शर्मा) 17/09/18
परि. निदे. एवं पदेन उप सचिव
(मो. एवं मू.)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, ग्रावि व पंरावि, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. प्रधान महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा), राजस्थान, जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-5) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. जिला कलक्टर, बीकानेर, अलवर, जालौर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ व जयपुर।
5. कोषाधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर तथा प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, जयपुर (शहर), अलवर, बीकानेर व जालौर।
6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, बीकानेर, अलवर, जालौर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ व जयपुर को ई-मेल के माध्यम सहित प्रेषित कर लेख है कि संलग्न विवरणानुसार अपने जिले के पीडी खाते में राशि प्राप्त होना सुनिश्चित करावें तथा यदि राशि वर्णित खाते में नहीं आयी हो, तो अधोहस्ताक्षरकर्ता को इस स्वीकृति की दिनांक से 3 दिवस के भीतर सूचित कराने का श्रम करावें।
7. अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण विकास विभाग, सचिवालय, जयपुर।
8. आहरण एवं वितरण अधिकारी, ग्रामीण विकास विभाग, सचिवालय, जयपुर।
9. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, बीकानेर (बीकानेर), रानीवाड़ा (जालौर), अरनोद (प्रतापगढ़), गढी (बांसवाड़ा), दूदू (जयपुर) तथा रामगढ़ (अलवर)।
10. केशियर, ग्रामीण विकास विभाग, सचिवालय, जयपुर।
11. रक्षित पत्रावली।


परि. निदे. एवं पदेन उप सचिव
(मो. एवं मू.) 17/09/18

